राजस्थान विधान सभा

आठवां सत्र

कार्य-सूची

गुरूवार, दिनांक 16 मार्च, 2017

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, आबकारी विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

आबकारी विभाग

1- अधिसूचना संख्या:एफ.4(6)वित्त/आब/2017 दिनांक 8 मार्च, 2017 जिसके द्वारा राजस्थान फोरेन लिकर (ग्रांट ऑफ होलसेल ट्रेड एण्ड रिटेल ऑफ लाइसेंस) रूल, 1956 में संशोधन किया गया हैं; एवं

2- अधिसूचना संख्या:एफ.4(6)वित्त/आब/2017 दिनांक 8 मार्च, 2017 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया हैं ।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन

(I) श्री श्रीचन्द कृपलानी, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जोधपुर बस सर्विस लिमिटेड़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(II) श्री वासुदेव देवनानी, शिक्षा राज्यमंत्री, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के नियम-46 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2015-2016 सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2016-2017, समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगी ।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) डॉ. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में नगरपालिका भवन का निर्माण करवाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(II) श्री बाबू सिंह, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में स्वीकृत 33/11 केवी सब-स्टेशनों के कार्य प्रारम्भ करवाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

जारी..2..

(III) श्री छोटू सिंह, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में पर्यटन विकास के नये मार्ग एवं स्थल विकसित करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(IV) श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली को जिला बनाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(V) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम इन्द्रगढ़ के राधेश्याम खोड़ा की ढाणी से साईवाड़ भानपुर मेन रोड़ तक सीसी रोड़ बनाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(VI) श्री अर्जुनलाल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में कतिपय उप तहसीलों को तहसीलों में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(VII) श्री मनोज कुमार, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर (जिला-चूरू) में सदर थाने का गठन किये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(VIII) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र बानसूर के नारायणपुरा क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय खोले जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

5. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्या-26)

"भामाशाह मंच के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेश, हिताधिकारियों को दक्ष और पारदर्शी रीति से लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के सीधे अंतरण और सेवाओं के परिदान का, और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों का, उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी ।

जारी..3..

6. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-2018
प्रथम अवस्था
अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-2018 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा ।

(विभिन्न दलों के सचेतकों/नेताओं द्वारा दी जाने वाली सूची के अनुसार बोलने की अनुमति दी जायेगी)

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 15 मार्च, 2017